न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री हवाई सिंह यादव, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 2020 / 00179 (77 / 2020)

–: प्रार्थीनी :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
1. राजेश्वरी पत्नी रमेशचन्द्र जाति अचारज निवासी ग्राम भोपालगढ़ तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर		1. श्यामसुन्दर पुत्र कोजाराम जाति माली निवासी भोपालगढ तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर 2. तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री रामदयाल चौधरी अधिवक्ता, प्रार्थीनी।
2. श्री परसराम चौधरी, मनोज कुमार जाखड़ अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 01।
3. सरकारी पैरोकार उपस्थित।

दिनॉकः– 12/1/22

–:: निर्णय ::–

वकील प्रार्थीनी ने एक प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र अंतर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया गया जिसमें बताया कि प्रार्थीनी की खातेदारी सुदा कब्जासुदा तरमीमसुदा भूमि ग्राम भोपालगढ़ एमबी पटवार हल्का भोपालगढ़ एमबी भू.अभि.नि. भोपालगढ़ तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में खसरा नं. 984 / 5 रकबा 0.1781 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय कृषि भूमि जो खाता संख्या नया 512 व पुराना 25 पर इन्द्राजसुदा है जिस पर प्रार्थीनी काबिज काश्त है तथा अपने उपयोग में उपभोग में लेती आ रही हैं। उक्त भूमि को आगे प्रार्थनापत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया जाएगा। सबूत में नकल जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 की प्रमाणित मय ट्रेस नक्शा संलग्न है। प्रार्थीनी की कृषि भूमि राजस्व नक्शे में तरमीम सुदा भूमि है तथा प्रार्थीनी के खसरे के चिपते ही दक्षिणी दिशा की ओर खसरा नं. 984 / 6 रकबा 0.1942 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी की स्थित है। प्रार्थीनी अपनी वादग्रस्त आराजी पर शांतिपूर्ण काबिज काश्त है तथा प्रार्थीनी की वादग्रस्त आराजी नक्शे में तरमीम की हुई है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थीनी की खसरा नं. 984 / 5 की दक्षिणी माठ को लेकर हर समय लड़ाई झगड़ा करता रहता है तथा खसरा नं. 984 / 5 की दक्षिणी माठ की भूमि को हर समय अपनी भूमि बताता है जबकि प्रार्थीनी अपनी खातेदारी भूमि में काबिज काश्त है। सीमाज्ञान को लेकर हर समय अप्रार्थी संख्या 01 लड़ाई झगड़ा करता रहता है जबकि प्रार्थीनी महिला होने से लड़ाई झगड़ा करने से डरती है। प्रार्थीनी अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नं. 984 / 5 की बाद सीमाज्ञान के पत्थरगढी करवाना चाहती है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद नही हो लेकिन श्रीमान् न्यायालय के आदेश के बिना उक्त कानूनी कार्यवाही संभव नही है। प्रार्थीनी को अपनी खातेदारी सुदा कब्जासुदा तरमीमसुदा भूमि का सीमाज्ञान करवाने व पत्थरगढी करवाने का विधिक अधिकार प्राप्त हैं। प्रार्थीनी द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 को पत्थरगढी व सीमाज्ञान के लिए [illegible] 12.2020 को निवेदन किया गया लेकिन अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा [illegible] सक्षम नही है व सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर सीमांकन व पत्थरगढी करने का [illegible] लाने की बात कही गयी जिस पर उक्त प्रार्थनापत्र सीमांकन व पत्थरगढी करने हेतु श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः निवेदन है कि [illegible] भोपालगढ़ एमबी पटवार क्षेत्र भोपालगढ़ एमबी भू.अभि.नि. क्षेत्र भोपालगढ़ तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर की

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 12:23:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

राजस्व सीमा में स्थित खसरा नं. 984/5 रकबा 0.1781 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 02 को सीमांकन कर चारों ओर मुटाम कायम कर पत्थरगढ़ी करने का आदेश फरमाया जावे तथा अप्रार्थी संख्या 01 को पाबंद किया जावे कि वह मौके पर अप्रार्थी संख्या 02 का सहयोग करे व विवाद होने पर मौके पर जरूरत पड़ने पर पुलिस इमदाद सहित सीमांकन व पत्थरगढ़ी करने के आदेश फरमाये जावे व अप्रार्थी संख्या 01 को पाबंद करे कि वह चारों ओर मुटाम कायम कर की गई पत्थरगढ़ी को हटावे नहीं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री परसराम चौधरी, मनोज कुमार जाखड़ अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से पेश जवाब प्रार्थनापत्र में बताया गया कि प्रार्थीनी अप्रार्थी संख्या 01 को हैरान व परेशान करने की नीयत से उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया तथा प्रार्थीनी यदि अंतर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा में प्रार्थनापत्र पेश करती तो ग्राम भोपालगढ एमबी के खसरा नं. 984/5 रकबा 0.1781 हैक्टेयर का पत्थरगढ़ी करवाना चाहती थी तो चारों तरफ के पड़ौस को पार्टी बनाकर सूचना देकर अपने खेत की पत्थरगढ़ी करवाती। प्रार्थीनी वास्तव में अपने खेत खसरा नं. 984/5 की सीमांकन व पत्थरगढ़ी करवाना चाहती तो चारों तरफ के पडोसियों को सम्मन के जरिये सूचना देती। अतः निवेदन है कि प्रार्थीनी का प्रार्थनापत्र खारिज करवाने का आदेश प्रदान फरमावे। तत्पश्चात् वकुलाय उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। प्रार्थीनी को वकील ने बहस में बताया कि प्रार्थीनी के खातेदारी खेत के दक्षिण दिशा की तरफ मांठ को लेकर विवाद है, इसलिये सिर्फ दक्षिण तरफ वाले खातेदार को ही पक्षकार बनाया है, अन्य किसी से विवाद नही होने से पक्षकार नही बनाया। अतः प्रार्थीनी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का आदेश फरमावे। अप्रार्थी वकील ने बहस में बताया कि प्रार्थीनी द्वारा सीमाज्ञान नही करवाया है। सीमाज्ञान करवाने पर ही विवाद की स्थिति का पता चलता। प्रार्थीनी ने अपने खातेदारी खेत के चारों तरफ के काश्तकारों/खातेदारों को पक्षकार नही बनाया है, सिर्फ हैरान परेशान करने की नीयत से अप्रार्थी को ही पक्षकार बनाया है। अतः प्रार्थीनी का प्रार्थनापत्र खारिज फरमावे।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। जिसके अनुसार प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रार्थीनी द्वारा खातेदारी खेत के चारों ओर के खातेदारों को आवश्यक पक्षकार संयोजित नही किये जाने एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट प्रस्तुत नही किये जाने के कारण खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

निर्णय आज दिनांक 12/1/22 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला-जोधपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 12:23:06 IST
Reason: SelfAttested